IS 15700:2005

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

website : http://www.upavp.com,

E-mail : upavp@sancharnet.in

सेवोत्तम प्रमाणित

आवश्यक सूचना

1. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की विश्वस्तरीय टाउनशिप अवध विहार योजना, लखनऊ के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2013 से दिनांक 30.03.2013 तक बसेरा–1 दुर्बल आय वर्ग के 750 नग, एवं बसेरा–2 अल्प आय वर्ग–750 नग जी+3 प्रकार के भवनों का पंजीकरण विभिन्न बैंकों के माध्यम से खोला गया था।

2. वृन्दावन योजना में दुर्बल आय वर्ग (विशिष्ट श्रेणी भवन) एवं छोटे भूखण्ड (25.11 वर्ग मी0 से 80 वर्ग मी0 तक) का पंजीकरण दिनांक 15.08.2013 से 05.09.2013 तक खोला गया था।

आरक्षित वर्ग हेतु पंजीकरण धनराशि सामान्य वर्ग से आधा अंकित होने के कारण कतिपय हारिजेन्टल श्रेणी के आवेदकों द्वारा **"जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा ओ0बी0सी0 के नहीं थे"** विभ्रमवश आधी पंजीकरण धनराशि जमा करते हुए आवेदन किया था। ऐसे सामान्य हारिजेन्टल कोटे के आवेदकों को पूर्व में पंजीकरण अन्तर धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया जा चुका है। उन्हें एक अवसर और प्रदान किया जा रहा है।

उ0प्र0 शासन एवं परिषद के निर्णय के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जिन्होंने उ0प्र0 के बाहर का जाति प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन किया है ऐसे समस्त आवेदक सामान्य श्रेणी के आवेदक माने जायेंगे।

पंजीकरण अन्तर धनराशि दुर्बल आर्य वर्ग के आवेदक रू0 7500.00 एवं अल्प आय वर्ग के आवेदक रू0 15000.00 एवं वृन्दावन योजना में पंजीकरण अन्तर धनराशि विशिष्ट श्रेणी (**EWS**) हेतु रू0 23000.00 एवं छोटे भूखण्ड (25.11 वर्ग मी0) हेतु रू0 10500.00 तथा भूखण्ड (40.74 वर्ग मी0) हेतु रू0 15000.00 का बैंक ड्राफ्ट **"उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" लखनऊ** पर देय बनवाकर **"कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, निकट भूतनाथ मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ" एवं वृन्दावन हेतु कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध वृन्दावन योजना लखनऊ** में दिनांक 20.12.2013 से पूर्व व्यक्तिगत/पंजीकृत डाक द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा पंजीकरण धनराशि कम होने के कारण उपरोक्त श्रेणी के ऐसे समस्त आवेदक पात्रता चयन ड्रा हेतु अपात्र माने जायेंगे विलम्ब की दशा में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

आवास आयुक्त